भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3029
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान कार्ड

3029. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पतालों में मान्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निजी अस्पताल इन कार्डों को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं और उक्त कार्डधारक रोगियों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे चिह्नित अस्पतालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): इनपेशेंट सुविधाओं वाले सभी सार्वजनिक अस्पतालों को बिना किसी प्रत्यक्ष सत्यापन के आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत पैनलबद्ध माना जाता है। ऐसे पैनलबद्ध सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड विशिष्ट और मध्यम स्तर पर मान्य है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) द्वारा पैनलबद्ध किया जाता है और पैनलबद्ध होने के समय हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार योजना के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। आयुष्मान कार्ड के न होने पर पात्र लाभार्थियों को उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

एबी-पीएमजेएवाई एक पात्रता-आधारित योजना है, सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के पहले दिन से ही कवर किया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई में नामांकन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, लाभार्थी की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया की जाती है। इसके अलावा, सत्यापित लाभार्थियों को पात्रता और सशक्तीकरण के संकेत के रूप में आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है।

योजना के तहत, लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। पैनलबद्ध

अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी वेब-आधारित पोर्टल, केंद्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केंद्रीय और राज्य कॉल सेंटर (14555), ईमेल, एसएचए को पत्र आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, योजना के तहत उपचार का लाभ उठाने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ): निलंबन, कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र, अस्पतालों को पैनल से हटाना, ई-कार्ड को निष्क्रिय करना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना सहित उचित कार्रवाई की जाती है।

निजी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जिनके विरुद्ध अस्पताल को निलंबित करने, चेतावनी पत्र जारी करने और अस्पताल को पैनल से हटाने जैसी दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जो निम्नानुसार हैं:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पतालों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	39
असम	1
बिहार	1
चंडीगढ़	2
छत्तीसगढ	4
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	7
जम्मू और कश्मीर	42
झारखंड	6
कर्नाटक	49
केरल	8
मध्य प्रदेश	127
पंजाब	11
राजस्थान	10
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	542

नोट: आंकड़े दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार

*****